राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 468/2016
डॉ. लाल थदानी

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 02.07.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेश राज कुमावत उपस्थित।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने अपने पक्षकार से बात कर वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाही थी, परंतु अपीलार्थी ने केवल यह सूचना दी है कि उन्हें लाभ प्राप्त हो चुका है, परंतु अपीलार्थी के अधिवक्ता को यह जानकारी नहीं हैं कि अपीलार्थी को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस अपील में No instruction plead किया है।
3. इस प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी को लाभ प्राप्त हो जाना प्रकट हुआ है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। अधिवक्ता अपीलार्थी की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना दिये जाने में असमर्थ है। अतः यह अपील आदमी हाजरी एवं अदम पैरवी के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)